

## फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री दयानन्द शर्मा, 5 क - 28, शिवाजी पार्क, अलवर (राज0) 301001

-अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

- प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा- अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 59/2021

क्रमांक

कार्यवाहिक विवरण

हस्ताक्षर पाटी तथा  
सूचनाएं जारी की गईं

दिनांक 30.12.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्त हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांक: प.1( ) सू0अ0,05/2021/1227 - 1228 दिनांक 08.12.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 13.10.2021 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 18.10.2021 को प्राप्त हुआ है। आरटीआई आवेदन से जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के स्थापना अनुभाग की होने से उक्त अनुभाग से सूचना चाही गई। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 890 दिनांक 17.11.2021 से इस अनुभाग को भिजवाई गई। प्राप्त सूचना प्रार्थी को इस अनुभाग के पत्रांक 1156 दिनांक 22.11.2021 से सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को जरिये डाक से प्रेषित किये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी  
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

